

राजस्थान सरकार
औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर, राजस्थान
क्रमांक/डीसी/डी-2/एनपीपीए/2018/37 दिनांक 01/02/2018

::परिपत्र::

विषय:- Orthopaedic Implants की बिक्री के संबंध में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मेरे ध्यान में लाया गया है कि कुछ सस्थानों पर बिना मूल्य के लेबल के ही कुछ Orthopaedic Implants की बिक्री की जा रही है।

आपको निर्देश दिये जाते हैं कि बाजार में उपलब्ध Orthopaedic Implants पर निगरानी रखते हुए सुनिश्चित करे कि बिना एम.आर.पी. अंकित Implants की बिक्री नहीं हों।

डी.पी.सी.ओ. के अन्तर्गत आने वाले Implants के विषय में विक्रेताओं एवं हॉस्पिटल के स्तर पर भी निगरानी रखते हुए भारत सरकार द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन सं० 2668(E) दिनांक 16.08.2017 की पूर्ण पालना सुनिश्चित करावें।



(राजा राम शर्मा)

औषधि नियंत्रक

राज० जयपुर

दिनांक 01/02/2018

क्रमांक/डीसी/डी-2/एनपीपीए/2018/37

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. औषधि नियंत्रक (द्वितीय) मुख्यालय।
2. समस्त सहायक औषधि नियंत्रक, राजस्थान राज्य।
3. समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी, राजस्थान राज्य।
4. अध्यक्ष, राजस्थान केमिस्ट संघ, दवा बाजार, जयपुर।
5. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने के साथ ही समस्त सहायक औषधि नियंत्रक एवं समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी, राजस्थान की ई-मेल पर भेजना सुनिश्चित करें।
6. गार्ड फाईल



(राजा राम शर्मा)

औषधि नियंत्रक

राज० जयपुर